

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha  
President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar  
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Vice President  
Md. Moeezuddin  
9304951990

Ajay Kumar  
9835737317

Joint Secretary  
Subodh Kumar  
7979919465

Gopal Sharan  
8210342042

Treasurer  
Sunil Kumar Tiwary  
9431085120

Joint Treasurer  
Mona Jha  
9430881025

Memo No 21

Date 13.07.2021

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

विषय:-

46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मुहैया कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (1) CWJC No-10901/2006 मो 0 कयुमुद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार वाद में दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश।
- (2) अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक 09 दिनांक 15.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं एवं वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित है जबकि 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान अर्थात् पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिये जिसके निम्नलिखित आधार है;

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन (छायाप्रति संलग्न) 05.11.2004 को किया गया था। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14.12.2004 निर्धारित की गयी थी।

3. इस क्रम में दिनांक-14.12.2004 को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) प्रकाशित किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम संख्या-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को परिभाषित करते हुए आवेदन जमा करने की तिथि को दिनांक-31.12.2004 तक बढ़ाया गया था।

4. उक्त विज्ञापन के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-24.04.2005 को 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी तथा इसका परीक्षा फल (छायाप्रति संलग्न) बि.लो.से. आयोग द्वारा 16.12.2008 को घोषित किया गया।

5. 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा 12.01.2009 से 14.01.2009 तक आयोजित की गयी एवं अंतिम परिणाम (छायाप्रति संलग्न) 24.01.2009 को घोषित की गयी।

अतः उक्त साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं;

(क) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2001 के आधार मानकर की गयी है।

(ख) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता हेतु प्रारम्भिक परीक्षा 24.04.2005 को आयोजित की गयी है।

(ग) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु अधियाचना मुख्य सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 430 दिनांक 06.05.2005 के आलोक में की गयी है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि 47वीं संयुक्त बिहार प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदों की रिक्तियाँ नई पेंशन योजना अर्थात् 01.09.2005 के पहले लागू नियमावली के आलोक में की गयी है। इसी प्रकार का समदृश्य मामला 46वीं बैच के पदाधिकारी का भी है।


7. इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC सं०-१०९०१/२००६ मो० कयामुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 03.08.2011 को निम्नलिखित आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित है;


"It is infact this aspect of matter which wound clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable."

8. उक्त न्याय निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किये गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय।

9. अतः अनुरोध है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार की संकल्प सं० 1964 दिनांक 31.08.2005 की कंडिका 3 एवं कंडिका 6 में उल्लिखित प्रावधानों को शिथिल एवं क्षांत करते हुए 01.09.2005 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलंगनक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन  
  
(अनिल कुमार)  
महासचिव

विश्वासभाजन  
  
(शशांक शेखर सिंह)  
अध्यक्ष

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
CIVIL WRIT JURISDICTION CASE No.10901 of 2006

1. Md.Kayumuddin Ansari, son of Shri Rahmat Ali Ansari, resident of Latif Market, Chokhandi Road, P.S. Sasaram, Sasaram
2. Krishna Kumari, D/o Shri Ramji Prasad Gupta, resident of village Sikarhgarh Tola (L.C.T. Ghat Road), near Mishra Medical Hall, P.O. + P.S. Kahalgaoon, District Bhagalpur
3. Arun Kumar, son of Shri Parasnath Prasad, resident of Khajpura Ambedkar Path, P.O. B.V.College, P.S. Shastrinagar, Bailey Road, Patna- 800014
4. Seema Kumari, D/o Shri Ajeet Kumar Yadav, resident of village + P.O. Latra, P.S. Nawgachhiya, District Bhagalpur
5. Shashibhushan Kumar Sinha, son of Shri Janardan Prasad, resident of village Manara, P.S. Noorsarai, District Nalanda
6. Kiran Kumari, D/o Shri Jagdish Prasad, resident of village Bishnupur, P.O. Ranipar, P.S. Noorsarai, District Nalanda
7. Satish Kumar, son of Shri Jaleshwar Prasad Singh, resident of Health Institute Road, Beur, P.S. Gardanibagh, Anisabad, District Patna- 800002
8. Surendra Ram, son of late Ramdeni Ram, resident of village Mataya, P.O. + P.S. Madhopur Ram, District Vaishali
9. Jitendra Kumar Sinha, son of Shri Ramprit Prasad, resident of Village Katai, P.S. Atari, District Gaya

Petitioners

1. The State Of Bihar through the Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna
2. The Commissioner, Finance, Govt. of Bihar, Patna
3. The Commissioner cum Secretary, Health Services, Department of Health, Govt. of Bihar, Patna
4. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Contributory Provident Fund, Bihar, Patna
5. The Additional Secretary, Health and Family Welfare, Department, Vikash Bhawan, Patna
6. The State Drugs Controller, Directorate Health Services, Vikash Bhawan, Patna
7. The Bihar Public Service Commission, Bihar, patna, through its Secretary

Respondents


For the petitioners : Mr. Mithilesh Kumar Rai, Adv.  
For the State : Mr. Bijay Kumar Pandey, A.C. to G.P.20  
For the BPSC : Mr. Sanjay Pandey, Adv.

5. 3.8.2011

Having heard counsel for the parties as with regard  
to the following relief:

"That this is an application for issuance of a writ in  
the nature of mandamus directing and commanding

the respondent authorities not to give effect to letter no. 690 dated 3.3.2006, issued under the signature of the Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, so far as it relates to the petitioners, which is said to have been pursuant to Gazette notification bearing No. 614 dated 18.11.2005, whereby and whereunder it speaks of the fact that the persons having been appointed on 1.9.2005 or thereafter, shall have to be a member of the newly contributory fund scheme, as also to treat the petitioner to have been appointed prior to 1.9.2005 for the purposes of application of the service condition in regard to pension."



this Court is of the considered opinion that as the Bihar Public Service Commission had ultimately recommended the names of the petitioners on 25.6.2004 in continuation to the earlier recommendation of 41 candidates vide its letter No. 39 dated 12.5.2003 by making it clear that the name of the petitioners shall be placed below the 40<sup>th</sup> candidate and above 41<sup>st</sup> candidate, there should have been no difficulty for the Government to allow the benefit of old pension scheme which was prevalent at the time of appointment of the 41<sup>st</sup> candidate.

The issue in fact becomes very simple if it is taken into account that by one advertisement No. 2 of 2000 the post of Drug Inspector were advertised but when the result of the same was published in the year 2001 the petitioners were shown to have been unsuccessful in the written test, whereas the Commission had recommended the name of the other 41 persons in the year 2003 after conducting interview and preparing selection list. The

petitioners and the similarly situated 7 persons alike the petitioners thereafter had assailed the result and recommendation of the Commission on a ground that they were illegally edged out without following the Government's own scheme and policy as

with regard to lowering qualifying mark in the written test for the

~~Categor~~ backward categories. This Court in its judgment dated 16.5.2002

in L.P.A.No. 1283 of 1999 and its analogous cases infact had upheld such claim and had directed the Commission to re-determine the merit list on the basis of qualifying marks prescribed under the statutory Rules. The Commission thereafter had made

such exercise and sent its recommendation on 25.6.2004 wherein

~~the~~ Game of 11 persons including the petitioners were recommended and it was clarified that their place of seniority will

be below Sl.No. 40 and above Sl.No. 41 of the earlier list dated

12<sup>th</sup> May, 2003. Consequently such recommendation of the

petitioners had not only been accepted by the Government but an

offer of appointment was also issued to them on 11.8.2005

communicating that the Government had already decided them to

appoint on the post of Drug Inspector and as such they should give

their option of three districts for their respective place of posting.

While all these things had already happened, the Government had


taken a decision that from 1.9.2005 any person appointed in the

Government service will not be entitled to the existing policy of

pension being paid to them under the Bihar Pension Rules and

they would be governed by a new contributory pension scheme

framed by the government. Eventually when the petitioners were



also appointed by a notification dated 28.11.2005 they were also deprived of the benefit of pension under old policy and scheme governed by Bihar Pension Rules and they were also coerced to accept the new policy of Contributory Pension Scheme which according to them is less beneficial in comparison to the earlier

**WEB COPY**  
scheme. It is with this grievance that this writ application has been filed that as they are senior to the persons appointed on the basis of same advertisement and selection process they cannot be prejudiced in the matter of service condition as was given to other persons including a person below them in the merit list.

**NOT OFFICIAL**  
Learned counsel for the Commission has clarified that the Commission had gone into this exercise and had made its recommendation very clear that the place of the petitioners as per roaster and reservation in view of the direction given by this Court in the judgment dated 16.5.2002 in L.P.A. No. 1823 of 1999, would be below Sl.No.40 of the original list and above 41 of the same list. In fact the Commission has itself placed the revised recommendation dated 25.6.2004 and Mr. Pandey, appearing on behalf of the Commission, has also very fairly produced even the earlier recommendation 12.5.2003, which has been kept on the records of this case. From the simultaneous reading of the two recommendations of the Commission dated 12<sup>th</sup> May, 2003 and 25.6.2003 it would become absolutely clear that the petitioners will be deemed to be appointee of the same transaction and barring the benefit of payment of salary for the period they had not worked on account of denial of their appointment they were entitled for all

other benefits including seniority to which were extended to other

41 Drug Inspectors appointed earlier in view of the recommendation of Commission in its letter dated 12.5.2003.

In that view of the matter, this Court would find it

difficult to accept the submission of the learned counsel for the

**State who has given only one explanation by way of justification**

of the Government decision that the petitioners being appointee after 1.9.2005 were to be governed by the new contributory

pension scheme. Such submission of learned counsel for the State is based on an arithmetical calculation that since the appointment

letter of the petitioners was issued after cutoff date of 1.9.2005

**They will be automatically deprived from availing the earlier benefit of pension under Bihar Pension Rules which was given to**

the appointees of the year 2003. This Court however would fail to

understand the logic of such submission, inasmuch as when the

petitioners were subjected to same selection process in terms of the

same advertisement and ultimately their case was recommended

by the Commission in continuation of the same merit list by placing them above a person who was originally recommended

and appointed, it would be difficult to accept such justification

given by the State Government that the petitioners still will be


deprived of the benefit of the old pension scheme because they

were appointed after 1.9.2005. It was not the fault of the

petitioners that the Commission and/or the Government did not

follow its own policy of following its decision regarding lower


qualifying marks for the candidates belonging to backward



category and therefore, if the Government and the Commission had to be directed by this Court in the case filed by the similarly situated persons for drawing a fresh merit list, and in such merit list the name of the petitioners had figured above someone who was originally recommended, they cannot be deprived of the benefit which has been given to the originally recommended candidates.

It is in fact this aspect of the matter which would clinch the issue in favour of the petitioners inasmuch as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new Rules coming into force after beginning of process of selection as per old Rules cannot be made applicable.

Reference in this connection may be usefully made to the judgment of Apex Court in the case of P. Mahendran Vs. State of Karnataka reported in (1990) 1 SCC 411. Moreover a right to receive pension is condition of service as has been held by the Apex Court in the case of Union of India Vs. Gurnam Singh reported in (1982) 2 SCC 314 and thus to be governed in accordance with the terms and condition of the advertisement and the existing Rules inasmuch he acquires a right to be considered for selection and appointment in accordance with the then existing Rules. This Court would accordingly hold that the petitioners being appointees of the old transaction of Advertisement No. 2 of 2000 in continuation with old appointees of 2003 will be entitled to get the benefit of old pension scheme and they will not be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme coming



into force w.e.f. 1.9.2005. It has to be also kept in mind that even the original appointment letter issued on 26.11.2005 to the petitioners, did not contain any clause and/or condition that they will be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme and therefore, the resolution of the Finance Department, contained

*In Annexure 10 dated 1.9.2005, cannot be made applicable in the case of the petitioners as it was not made part of their service condition also in their appointment letter.*

For all these reasons, this application is allowed and the respondents are directed to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the petitioners as was extended to other Civil Drug Inspectors appointed out of the same advertisement and transaction.

(Mihir Kumar Jha,J.)

Surendra/

स्नातक पास सभी जाति के उम्मीदवारों के लिए

# बिहार लोक सेवा आयोग



## 47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

### हेतु आवश्यक निर्देश :-

निम्नांकित रोबों/पदों जिनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा अंकित है, सरकार से रिक्तियों की सूचना प्राप्ति की प्रत्याशा में विहित प्रपत्र परिशिष्ट के एवं यह में हिन्दी (देवनागरी-लिपि) में भारतीय नामिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार अम सेवा (सामाजिक), बिहार कार्य सेवा, सहायक नियोजन पटाधिकारी, सहायक नियोजक (सहयोग राजितियों) अवर निवायक, अवर निवायक पटाधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष है तथा बिहार पुलिस सेवा, बटालियन कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी) एवं उत्पाद निरीक्षक के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है। उम्र की सामग्री की तिथि 1 जून 2001 ईसो।

**नोट** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) — 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग — 37 वर्ष, महिला पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग — 38 वर्ष।

— जो व्यक्ति सरकारी सेवा ने संयुक्त हो गये हैं, वे उम्र सीमा के अन्दर रहने पर भी बिहार पुलिस सेवा, बटालियन कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी) एवं बिहार कार्य सेवा के पात्र नहीं होंगे। बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले स्थायी एवं अस्थायी सरकारी रोबक जो दिनांक 1/8/2001 को तीन वर्षों की निरन्तर संघ पूरी कर चुके हैं, के लिए राज्य सरकार द्वारा नियारित अधिकातम उम्र सीमा मान्य रहेगी। इस उम्र रियायत के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार अम सेवा (सामाजिक) एवं सहायक नियोजन पटाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु तीन बार और बिहार वित्त सेवा में नियुक्ति हेतु मात्र दो बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। उम्र सीमा में यह पूर्ण केवल बिहार सरकार के कर्मचारियों (गैर तकनीकी) के लिए है।

— उम्मीदवार को किसी परिनियत विवरणियां से स्नातक की डिग्री दिनांक 01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए।

— बिहार पुलिस सेवा तथा बटालियन कमांडर (होमगार्ड) के उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 इंच और व्यन्तम छाती वी माप दिना फुलाये 32 (वृत्तीस) इंच होनी चाहिए, परन्तु अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों की दशा में उपर्युक्त रारीरिक माप के पश्चात उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनके लिए न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप मिना फुलाये 31 इंच का प्रावधान रहेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए।

— अनु. जाति/अनु. जनजाति को 20 (बीस) वर्षे तथा रोप को 80 (अस्सी) रुपये का रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑफर जो जी. पी. ओ. पटना या बैंक ट्रांसफर जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के नाम से पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक फ्रेजर रोड, पटना में भुगताये हो, संलग्न करें।

— इस परीक्षा के पाठ्यक्रम पूर्वदत्त रहेगे। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी रूपान्तर परीक्षा का आधार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे।

— अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए प्रदत अरक्षण का लाभ हेतु उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय तक कम-से-कम अनुमंडल पटाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को जिताधिकारी अध्यवा उनके द्वारा प्राधिकृत पटाधिकारी द्वारा दस्तावक्तर जाति प्रमाण पत्र (किनी लेपर विवरण) तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति को अनुमंडल पटाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी नियास बिहार राज्य में है, अर्थात् बिहार के मूलधारी हैं।

(क) उम्मीदवार 26 x 10 सें. मी. के आकार के स्वपत्ति लिखित दो लिफाके जिसापर ४-४: रुपये की डाक टिकट तथा एक पोस्टकार्ड अपने पता के साथ जिसपर 1.50 (डेढ़) रुपये की अतिरिक्त डाक टिकट विपक्षी गयी हो अवश्य संतान करें। पोस्ट कार्ड पर उम्मीदवार परीक्षा का नाम अवश्य लिखें।

(ख) आवेदन पत्र के साथ ईक्साइक योग्यता अद्यवा जाति प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति अध्यवा फोटो प्रति संलग्न नहीं करें।

— उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ कागजातों को निम्न क्रमानुसार टैग से नक्ती कर दें—(I) आवेदन पत्र परिशिष्ट के (II) दो लिफाके (छ:-४: रुपये की डाक टिकट सहित) (III) उपरिवर्त पत्र (परिशिष्ट छ) (IV) पोस्टकार्ड।

— “47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा” अवश्य लिखें।

आवेदन भेजने का पता :— (केवल निवायित डाक द्वारा) रोप में, उप संचिप


बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेटी रोड), पटना-800 001

सफलता हेतु कनक रत्नसागर सामान्य ज्ञान एवं कनक बिहार कौन, यथा दिग्दरिका अवश्य पढ़ें।

११ अक्टूबर २००४

प्राप्ति स्थान : पीयूष बुक सेन्टर, बुद्ध प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना-1



# बिहार लोक सेवा आयोग

15 जवाहरस्ताल नेहरू मार्ग  
(बैली रोड) पटना-800001

## 47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

निम्नोक्त सेवाओं/इन्हें जिनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा अंकित है, सरकार से विभिन्नों की सूचना प्राप्ति की प्रत्याशा में विहित प्रथम परिक्षण "क" एवं "छ" में हिन्दी (देवनामी लिपि) में दिनांक 14.12.2004 तक भारतीय नामिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विद्यमान से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। विहार प्रशासनिक सेवा, विहार वित्त सेवा, विहार शिक्षा सेवा, विहार व्रत सेवा (सामान्य) विहार कारा सेवा, सहायक नियोजन पदाधिकारी, सहायक नियोधक (सहाय नियोजित), अवर नियंत्रक, अवर नियोजन पदाधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष तथा विहार पुलिस सेवा, बटासियन कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी) एवं उत्पाद नियोजक के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है। उम्र की संगणना की तिथि 1से अगस्त 2001 होगी।

1. अधिकतम उम्र सीमा निम्नप्रकार है :- अनारक्षत-35 वर्ष, अनु जाति एवं अनु जन जाति (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष, पि. व. संथा अ. पि. व.-37 वर्ष, महिला पि. व. एवं अ. पि. व.-38 वर्ष। जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्मुख हो गये हैं, वे उम्र सीमा के अंदर रहने पर भी विहार पुलिस सेवा, बटासियन कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी) एवं विहार कारा सेवा के पत्र नहीं होगे। विहार सरकार के अधीन काम करने वाले स्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवक, जो दिनांक 1.8.2001 को तीन पर्सों की नियन्त्र सेवा पूरी कर चुके हैं, के लिए एवं राज्य सरकार द्वारा नियोजित अधिकतम उम्र सीमा मान्य रहेगी। इस उम्र विद्यायत के अधीन विहार प्रशासनिक सेवा, विहार वित्त सेवा, विहार व्रत सेवा (सामान्य) एवं सहायक नियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्त हेतु तीन बार और विहार शिक्षा सेवा में नियुक्त हेतु भाग ले चार पर्सोंमें वैठ सकते हैं। उम्र सीमा में वह छूट केवल विहार सरकार के कर्मचारियों (गैर सरकारीवालों) के लिए है। अन्य सरकारी अधिकारी नियमों एवं नियायों के कर्मचारियों पर वह छूट लाया नहीं होगा।

2. 1 अक्टूबर, 1963 के बाद एन. सी. मो. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैरियर/अनुदेशकों की एवं सी.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन उम्र की कंट्रिक्षण एवं में उत्तराधिकारी वर्षीय परियोजना के लिए अधिनीयां विद्यायक उम्र से उत्तर दिन यद्यपि भी अनुमति दी जाती है, जिनमें तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और वही विद्यायक उम्र किसी विद्यायक सेवा या पट के लिए विहित उम्रों उम्र सीमा से तोप वर्ष अधिक न हो, तो उन्हें संघर्ष में वह माना जायेगा कि वे सेवाओं में वा पर्दों पर नियुक्त के लिए अधिकतम उम्र की शर्ती भी फैलती है।

3. निम्नपूर्व संक्षिप्त एवं कमांडर ऑफिसर (ई. सी. ओवेन्यूस, एस. बी. ओवेर साइट) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन भर परे जाने वाले पर्दों के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस पर्दों पर आयु शिक्षापत्रीकरण का लाभ उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष तक उन्हीं पूर्वाधार सेवियों एवं कर्मचार ऑफिसर्स (ई. सी. ओवेरेन्यूस एवं सी.ओवेर साइट) की अनुमान्य होती है, जिनमें कम से कम 2 वर्षों की लगातार सीनोर सेवा पूरी की हो एवं कार्य सम्बन्ध के बाद सीनोर सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा 2, महीने के पौँद्र परियोजना होने वाले हों, वर्षों की कमी विमुक्त विद्यायक, अवधारणा, विद्यायक अस्वीकृत अधिकारी के परिणाम स्वरूप नहीं होती है।

4. इस अनुप्रवर्ती संविधान (ई.सी.ओवेरेन्यूस,एस.सी.ओवेर साइट) को अनु जाति/अनु जन जाति के बाद राज्य है तो अनु जाति/अनु जन जाति की अवधारणा की गति में सीधी नियुक्ति के लिए जो उच्चतम आयु सीमा में विभिन्नकरण का

लाभ दिया जाया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनु जाति/अनु जन जाति के पूतपूर्व सैनिक एवं कमीशापड ऑफिसर्स (ई. सी.ओवेरेन्यूस, सी.ओवेर साइट) को कारा सेवा हेतु उपरी उम्र सीमा तोन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पांच वर्ष अधिक होगी।

गोट :- संघर्ष सेवा से विमुक्त उम्मीदवार सक्षम पदाधिकारी से संघर्ष सेवा से विमुक्त होने का प्रयाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

5. शारीरिक क्षमता :- विहार चुनिल सेवा तथा बटासियन कमांडर (होम गार्ड) के उम्मीदवारों को न्यूनतम उम्हाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप विना फुलाये 32 (बत्तोंस) इंच होनी चाहिये, परन्तु अनु जाति/अनु जन जाति के उम्मीदवारों की दशा में उपर्युक्त शारीरिक माप के पश्चात उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनके लिए न्यूनतम उम्हाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप विना फुलाये 31 इंच का प्रावधान रहेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्हाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिये।

6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- उम्मीदवारों को किसी परिवर्तन विश्वविद्यालय से स्नातक वीं डिग्री दिनांक 1.8.2001 के पहले की होनी चाहिये।

7. परीक्षा शुल्क :- अनु जाति/अनु जन जाति को 20 (बीस) रुपये तक का एवं को 80 (अस्मान्य) रुपये का रेत्रोकॉन भारतीय पास्टल ऑफर जो जी.पी.ओ. सटना या बैंक ड्राफ्ट जो विहार सेवा सेवा आयोग, पटना के नाम से पंजाब एचडीसिप बैंक फ्रेजर रोड, पटना में खुलाये हो, संस्थान करें।

8. आरक्षण संवेदी आवधार सूचनाएँ :- अनु जाति/अनु जन जाति के लिए प्रदत्त आरक्षण के लाभ हेतु उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय तक कम से कम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए पिछड़ा वर्ष तक अत्यन्त पिछड़ा वर्ष को विलापिकारी अवधार उनके द्वारा प्राप्तिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षिर जाति प्रमाण पत्र (क्रिमी लेकर विषयक) तथा अनु जाति/अनु जन जाति को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नियम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आरक्षण की सुविधा उन्होंने उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी नियास विहार राज्य में है, अर्थात् विहार के मूलवासी हैं।

9. आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर अवधार डरमें "कटिंग" (ओपर रेटिंग) होने पर उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10. इस वर्षीय के पाद्यक्रम पूर्वाधार रहेंगे। पाद्यक्रम का अंग्रेजी रूपानार परीक्षा का आधार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे।

11. उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्वरण्डीय रूप (जीस- 1, 2, 3) का ही प्रयोग करें।

12. (ग) उम्मीदवारों से आवेदन विहित प्रपद (परिमित "क" एवं "छ") में 31x20 सेमी. के आकार के सारे मोटे क्षण (पतले कागज पर बिस्तों भी हालत में नहीं) पर ही स्पॉक्स किये जायेंगे।

(छ) आवेदन पत्र के भेजने समय, लिफासा के ऊपर 47वां संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा अवधार तिथि। उम्मीदवार 26x10 सेमी. के आकार के स्पॉक्स लियोट दो लिफासे किये जाएंगे। -छ. रुपये को लाक टिकट तथा एक पोस्टकार्ड अपने पता के साथ विस पर 1.50 (ठेक) रुपये को अतिरिक्त लाक टिकट विपक्षीय गया हो, अवधार संस्थान करें। पोस्टकार्ड यर भी उम्मीदवार परीक्षा का नाम अवधार लियोगे।

(ग) आवेदन पत्र के साथ लेडीप्रिंट रोमाना अवधार जाति प्रमाण पत्र भी अभिभासित अवधार पोटी प्रतियोगिता में संलग्न नहीं करें।

(घ) उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ कागज का नियंत्र ब्रापासुरार टेग में लेख कर देंगे।-

- (१) आवेदन पत्र परिशिष्ट "क" ( ॥ ) दो लिफ्टके (छः - छः रुपये की डाक टिकट सहित) ( ॥ ) उपस्थिति पत्र (परिशिष्ट "ख") (IV) पोस्टकार्ड।
13. आवेदन पत्र सभी कागजात सहित उप सचिव, विहार लोक सेवा आयोग, 15, विहार लोक नेहरू मार्ग (वेस्टो ओड), पटना-800001 को निबंधित डाक से इस तरह पेंचे कि अंतिम निर्धारित तिथि तक आयोग कायालय में अवश्य प्राप्त हो जाये।
14. परीक्षा में प्रवेशार्थ किसी उम्मीदवार को प्रत्रता/अपारता के संबंध में आयोग को नियंत्रण जीतम होगा।
15. अपूर्ण, अहस्ताख्याति एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। बाद में इनके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी।
16. उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में अपना उत्तर, परीक्षा कक्ष में आपूरित ऑफिटिक्स मार्क रोडर उत्तर पत्रक पर हो अंकित करेंगे। उम्मीदवार आपूर्ति उत्तर पत्रक पर यथा निर्देशित सभी सूचनाओं को भरेंगे।
17. उम्मीदवार द्वारा विज्ञापन की शर्त तथा परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर फोटो चिपकाने के स्थान पर दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद कर दी जायेगी।
18. महत्वपूर्ण सूचना :— इस परीक्षा के द्वारा विहार सरकार द्वारा यथा सूचित पदों पर ही नियुक्त हेतु प्रक्रिया चलेंगी।
19. विहार सरकार द्वारा इस परीक्षा हेतु गिक्कों की संख्या सम्प्रति अप्रतिवेदित है।
20. विहार राज्य के नियासी उम्मीदवारों को ही आक्षण एवं परीक्षा शुल्क का लाभ मिलेगा।
21. विकलांग उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्णीत ग्राम पत्र की अभिप्रायाज्ञित प्रति प्रस्तुत करेंगे।

## उप सचिव

विहार लोक सेवा आयोग, पटना

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-प्रपत्र।  
(आवेदन प्रपत्र मोटे कागज पर हो होना चाहिए)

## परिशिष्ट- "क"

अनुक्रमांक :-

- आवेदन प्राप्ति को तिथि :-
1. उम्मीदवार का नाम (वैसा प्रैटिक्युलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज हो) अंग्रेजी (कैफिल लैटर में) में हिन्दी में पिता/पति का नाम ..... अनुक्रमांक :-
  2. (क) उम्मीदवार की जन्म तिथि (प्रैटिक्युलेशन या समकक्ष पत्र में दर्ज हो) के अनुसार) तिथि ..... माह ..... वर्ष ..... (ख) जन्म तिथि (शब्दों में) ..... यदि आप आपु में छूट का दाया करते हैं तो इस संबंध में डल्लोंख करें ..... (ग) क्या आप विहार सरकार के सेवानिति कार्यरत है? यदि हो तो विभाग/कायालय का नाम लिखें....
  - (घ) विज्ञापन में उल्लिखित तिथि को उम्मीदवार को उम् ..... वर्ष ..... माह... दिन... (ङ.) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उपभोग किये गये अवसरों की संख्या .....
  - (क) आरक्षण :— आरक्षण की श्रेणी, आरक्षण कोड नम्बर एवं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपनी जाति का डल्लोंख सुसंगत चौकम में अंकित करें :— आरक्षण यीं श्रेणी ..... आरक्षण कोड नम्बर (पुरुष एवं महिला) ..... आरक्षित श्रेणी यीं महिला के लिए ..... केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की जाति (पुरुष एवं महिला)। (ख) विवाहित/अविवाहित ..... (ग) क्या उम्मीदवार विहार राज्य के बासी हैं, हाँ/नहीं। टिप्पणी :- ( । ) आरक्षण की

श्रेणी एवं कोड निम्न है :— अनारक्षित- 01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अल्पसंख्यक जाति-04, पिछड़ा वर्ग-05, पिछड़े वर्ग की महिलाएं (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक जाति/पिछड़ा वर्ग)-06 ( ॥ ) आरक्षित श्रेणी पिछड़े/अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं जिस श्रेणी की है ऊपर में अपने आरक्षण की श्रेणी एवं उसके कोड के साथ-साथ आरक्षण कोड-06 चौकम में अंकित करेंगी। (घ) क्या उम्मीदवार विकलांग है? यदि हो तो विकलांगता का प्रतिशत .....

4. गैरक्षणिक घोष्यता :— उचांर्ण परीक्षा ..... बोर्ड/विवरविद्यालय ..... श्रेणी/वर्ग ..... परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष .....
5. परीक्षा शुल्क की राशि :— भुगतान किया जाने वाला शुल्क रुपये 80 है। जितना राज्य की अनु जाति राशि अनुजनजाति के उम्मीदवारों के लिए 20 रु. है। भारतीय पांस्टल ऑफर/वैक ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करें .....
6. दो पहचान चिन्ह का विवरण :— ( । ) ..... ( ॥ ) ..... घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि जहां तक मेरो जानकारी और विवरास है, इस आवेदन-पत्र की सभी प्रविधियां सच्ची, पूरी और सही हैं। यदि कोई सूचना दूढ़ी या गलत पायी जाय अथवा पारीक्षा से पहले या बाद में यदि अपारता का पता चले तो आयोग मेरी पायता रद कर सकता है।

2. मैंने लिखित रूप से अपने कायालय/विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रहा हूँ।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

(क) हिन्दी में .....

(ख) अंग्रेजी में .....

विहार लोक सेवा आयोग, पटना।

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा।

## परिशिष्ट "ख"

(उपस्थिति पत्रक)

अनुक्रमांक .....

1. उम्मीदवार का नाम ..... ( ॥ ) प्रिलापति का नाम ..... ( ॥ )
3. जन्मतिथि :— ( ..... ) दिनांक ..... महीना ..... वर्ष .....
4. ( । ) वर्तमान पता ..... ( ॥ ) स्थायी पता .....
5. दो पहचान चिन्ह का विवरण ( । ) ..... ( ॥ ) .....
6. क्या उम्मीदवार विहित योग्यता पारण करता है :— हाँ/नहीं।
7. आरक्षण को श्रेणी, आरक्षण कोड नम्बर एवं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपनी जाति का उल्लेख सुसंगत चौकम में अंकित करें। आरक्षण को श्रेणी, आरक्षण कोड नम्बर (पुरुष एवं महिला) ..... इस प्रकार अभिप्रायाज्ञित कराये कि उनका हस्ताक्षर बांधकाम के अंतर्गत श्रेणी के महिलाओं के लिए ..... इस प्रकार अभिप्रायाज्ञित कराये कि उनका हस्ताक्षर एवं मुहर का आधा भाग केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की जाति ..... आवेदन पत्र पर यह तिथि .....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

(क) हिन्दी में .....

(ख) अंग्रेजी में .....

नोट :— परीक्षा कक्ष में उम्मीदवार उपस्थिति पत्रक पर बांधित सभी प्रविधियों के उपरोक्त हस्ताक्षर करने समय सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके सामने उपस्थिति पत्रक के नियोगित स्थान पर बौक्षक ने हस्ताक्षर कर दिया है। यदि उपस्थिति पत्रक पर बौक्षक का हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो उस विषय को परीक्षा में उम्मीदवार को अनुपस्थित माना जायेगा।

8. परीक्षा की तिथि ..... उत्तर-पत्रक की संख्या ..... परीक्षार्थी का हस्ताक्षर ..... वीक्षक का हस्ताक्षर .....

# बिहार लोक सेवा आयोग

15 जवाहर नगर नंहर मार्ग ( बेली गोड ) पटना - 800001

### 47वीं संयुक्त ( प्रारंभिक ) प्रतियोगिता परीक्षा

27

निश्चिक अंतर्गत उप संघ प्रैक्टिस है, भारत में निवास के अन्तर्गत या अन्तर्गत में विहित प्रैक्टिस 'क' एवं 'मु' में हिन्दी (देवनागरी लिपि) में दिनांक 14-12-2005 का असली दस्तावेज़ या अपेक्षा वह अधिक दिये जाने हैं जिसमें इस अंतर्गत 43 आवृत्तिक या दिव्य जाएगा। विहित प्रैक्टिस अंतर्गत संघ, विहित विधि संघ, विहित विधि संघ, विहित विधि संघ (भारतीय), विहित विधि संघ, अधिकारिक विधायक फटाफिकारी, अधिकारिक विधायक (मध्यसेन विधायक), अधि विधायक, अधि विधायक विधायकारी के बर्ती के विहित अंतर्गत उप संघ 22 की तरफ विहित अंतर्गत संघ, बटालियन इंडियन (कूर रख वर्कर्स) एवं उत्तर विधायक के पर्दों के लिए घृणा। उप संघ 20 की है। उप संघ को अधिक 01लो अवधि 2005 मिलेगी।



**बिहार लोक सेवा आयोग, पटना**  
**४७वीं संयुक्त ( प्रारंभिक ) प्रतियोगिता दरीजा के लिए अपेक्षन-प्रयत्न  
 ( अपेक्षन प्रथम भोटे कागज पर ही हस्त अहिंसा )**

आवेदन प्राप्ति की शिक्षा

- |    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | प्रश्नावली :  |
| 1. | उम्मीदवार का नाम (जैसा परिकुलंगान का समकाल प्रमाण पत्र में दर्श हो) अंग्रेजी (कैफियत सेट) में ..... फिर्ते हैं .....<br>पिला / परिवर्तन नाम ..... दिन कोड़ी .....<br>वर्तमान नाम ..... दिन कोड़ी  | स्वतंत्रता प्रमाणपत्र कोठे सटक<br>उम्मीदवार नामोंमें से इस प्रकार<br>अंग्रेजी भाषा कहाँ के उम्मीद<br>उम्मीदवार एवं मुद्रा का नाम यह<br>वर्तमान नाम भी हो :। |
| 2. | (क) उम्मीदवार को जन्मायि (परिकुल का समकाल के अनुमत) निर्दि ..... बाहु ..... वर्ष .....<br>(ख) वन्य लिपि (सल्ली है) ..... वर्ष .....<br>में उल्लेख को .....<br>(ग) क्या आप निहार साकार के तोकान्तर्गत कर्त्तवय है ? यदि हाँ तो<br>निहार करकीलय का नाम लिखें .....<br>(घ) विज्ञापन में उल्लिखित लिपि जो उम्मीदवार को उध ..... वर्ष .....<br>बाहु ..... दिन .....<br>उल्लिखित की संख्या .....<br>(इ) अरक्षण :- अरक्षण की बेंग, भारभर कोड नाम एवं अरक्षित देवी के उम्मीदवार अपनी जाति का उल्लेख<br>सुनान्तर बन्धन में अंकित को :- अरक्षण की बेंग ..... अरक्षण कोड नाम (पुरुष स्वर्गित)<br>भारक्षण बेंग की प्रतिक्रिया के लिए ..... बेल अरक्षित देवी के उम्मीदवारी का<br>नाम ..... (पुरुष एवं घरिना) (क) विवाहित / अविवाहित ..... (ग) क्या उम्मीदवार विवाह<br>राज्य के जाती है, हौ नही। दिव्यज्ञो :- (i) अरक्षण की देवी एवं लोह लिपि है :- अनामित - 01, अनुमूलित जाति -<br>02, अनुसृचित जन जाति - 03, भ्रष्टन विष्णु जाति - 04, विष्णु जाति - 05, विष्णु जाति जो चाहिलारे (एवं अनुमूलित<br>जाति/अनुमूलित जन जाति/ अन्दरन विष्णु जाति/विष्णु जाति/विष्णु जाति)-06 (ii) आराधित देवी पिछड़े/ अलक्ष्य रैख्य हुए देवी की प्रादलय<br>लिपि देवी ज्ञे है लक्ष्य में अपने अरक्षण की देवी एवं उसके कोड के साथ साथ अरक्षण कोड - 06 दावक्ष में अंकित<br>करें। (ग) क्या उम्मीदवारा विवेद्यांग है ? यदि हाँ तो विवेद्यांग का प्रतिक्रिया |   |
| 3. | वैसियक योगदान :- उत्तीर्ण घोषणा ..... बोहु : विवृतिवालय<br>बेंग/ बांग ..... परीक्ष उत्तीर्ण द्वारा का बोहु  |   |
| 4. | परीक्ष सुनक को दिया :- भुगतान किया जाने वाला सुनक समय 80 है। विहार दण्ड की अनुजाति तथा अनु<br>जन जाति के उम्मीदवारों के लिए 20 रु है। भारतीय फैसल माझे बैंक इन्स्टीट की संख्या एवं नियम का<br>उल्लेख करें।  |   |
| 5. | दो पहचान विवह वा विवाह :- (१)   | (२)   |

(६) अभ्यास

- | अनुसन्धान |   | उपरिलिखीय विवरण           |  |
|-----------|---|---------------------------|--|
| 1.        | उम्मीदवार का नाम  |                           |  |
| 2.        | जिले पर्याय का नाम  |                           |  |
| 3.        | जन्म तिथि (.....) दिनांक ..... महीना ..... वर्ष .....   |                           |  |
| 4.        | (i) बर्तनकल पट्टा   |                           |  |
|           | (ii) स्थानीय पट्टा  |                           |  |
| 5.        | दो महासून में विभाग (1) ..... (2) .....   |                           |  |
| 6.        | मात्रा उम्मीदवार विहित घोषणा घाराने करता है : हाँ / नहाँ  |                           |  |
| 7.        | आरक्षण की बोध्य, आरक्षण कोड नम्बर एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के उम्मीदवार अपनी जाति का दस्तावेज़ सुरक्षात्मक बोध्य में लाइन बोर्ड :<br>आरक्षण की श्रेणी, आरक्षण कोड नम्बर (पुरुष एवं महिला) .....<br>अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के भाइलाईओं के लिए .....<br>केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के उम्मीदवार छोड़ जाते हैं<br>दिविः .....                                    |                           |  |
|           |   | उम्मीदवार एवं इस्तेवार    |  |
|           |   | (क) हिन्दू ये .....       |  |
|           |   | (ख) अंग्रेजी ये .....     |  |
| टेट :-    | यहाँ कहा दिया गया है कि उम्मीदवार उपरिलिखीय विवरण पर चारोंछात्र यादी श्रिंखलियों के उपरान्त इस्तेवार करते समय सुनिश्चित होते हैं कि उनके सम्माने उपरिलिखीय विवरण के विपरीत व्यापार वर कोडक ने इस्तेवार कर दिया है। यह उपरिलिखीय विवरण पर कोडक का इस्तेवार नहीं होना तो उम्मीदवार की चारोंछात्र में उम्मीदवार को अनुशासन माना जाएगा ;<br>गांधी की शिक्षा ..... |                           |  |
|           |   | उम्मीदवार की संख्या ..... |  |
|           |   | .....                     |  |

Times of India - 05-11-2011

~~Certified~~  
Section Officer  
Bihar Public Service Commission  
PATNA



## बिहार लोक सेवा आयोग

पट्टा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पट्टना  
आवश्यक सूचना

४७वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित  
विज्ञापन के क्रम संख्या-०६ में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्न  
रूप से डिल्लिखित है :-

"उम्मीदवारों की किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक  
की डिग्री दिनांक 01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए।"

अब आयोग द्वारा उक्त परीक्षा हेतु दिनांक 31.12.2004  
को शैक्षणिक योग्यता के निमित्त तत्काल औपचारिक रूप से  
कट-ऑफ-डेट के रूप में निर्धारित किया गया है।

ऐसे उम्मीदवार उक्त परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र दे सकते हैं,  
जिन्होंने दिनांक 31.12.2004 के पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त  
कर ली हो।

इस प्रकार अब आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि  
दिनांक 31.12.2004 तक बढ़ाई जाती है।

अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

हो/-

(उप सचिव)

बिहार लोक सेवा आयोग, पट्टना

मुख्य सचिव, उपचालक विभाग, विभाग, ५८५८  
मुख्य सचिव, उपचालक विभाग, विभाग, ५८५८  
दिनांक १४.१२.२००४

Certified  
Section Officer  
Bihar Public Service Commission

*Certified*  
Section Officer  
Public Service Commission  
15. जवाहरताल नेहरू मार्ग (बिली रोड), पटना - 800001  
47वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षापत्र

Annexure - D

170.

47वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा, रविवार, दिनांक 24.04.2005 को राज्य के 16 जिलों में अवस्थित 143 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी।  
एक लम्बी अवधि तक उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन—कार्य अवस्था रहा; पूर्ण जांचोपरान्त, परीक्षा में दैरे कुल 37943 उम्मीदवारों के उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन—कार्य सम्पन्न कराकर, आयोग 47वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सफल परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक (Enrollment Number), क्रमावार, नीचे बाये से दायें, प्रकाशित करता है।

00008	100052	100061	100063	100065	100068	100070	100072	100075	100150	100151	100156	100166	100171
00176	100181	100184	100187	100188	100189	100192	100193	100195	100198	100200	100206	100216	100218
00219	100221	100230	100231	100232	100237	100242	100246	100247	100252	100258	100274	100275	100285
00297	100301	100303	100306	100308	100312	100321	100327	100329	100330	100343	100354	100366	100369
00380	100384	100389	100395	100396	100399	100401	100412	100414	100416	100418	100419	100420	100428
00439	100453	100456	100459	100476	100480	100515	100580	100609	100612	100641	100668	100679	100687
00706	100729	100752	100771	100792	100800	100801	100805	100832	100843	100844	100848	100893	100907
00942	100944	100947	100955	100956	100965	100967	100972	100997	101014	101024	101076	101093	101095
01159	101160	101175	101183	101184	101186	101196	101201	101203	101224	101236	101238	101239	101244
01252	101257	101258	101259	101265	101267	101275	101276	101289	101303	101339	101353	101375	101446
01450	101451	101515	101565	101566	101589	101590	101601	101605	101611	101638	101691	101719	101780
01802	101813	101850	101891	101898	101910	101913	101971	102005	102011	102012	102027	102030	102050
02085	102088	102093	102102	102118	102130	102139	102140	102163	102170	102188	102199	102201	102206
02215	102243	102259	102266	102268	102269	102297	102316	102326	102339	102340	102349	102376	102377
02396	102414	102423	102426	102437	102442	102446	102449	102454	102485	102498	102521	102523	102526
02540	102543	102653	102658	102660	102746	102758	102764	102791	102869	102895	102948	102952	102960
03001	103008	103017	103019	103025	103029	103030	103031	103041	103053	103055	103056	103062	103063
03064	103065	103067	103068	103072	103073	103074	103075	103078	103079	103080	103117	103131	103157
03161	103206	103229	103245	103251	103334	103351	103352	103371	103377	103381	103390	103392	103407
03409	103441	103446	103461	103472	103473	103474	103490	103492	103496	103497	103519	103521	103524
03526	103527	103537	103540	103545	103546	103547	103548	103550	103551	103552	103555	103559	103571
03573	103574	103575	103576	103580	103581	103582	103584	103585	103616	103659	103692	103720	103738
03794	103804	103805	103865	103874	103897	103912	103921	103940	103942	104001	104019	104051	104071
04073	104074	104090	104129	104130	104131	104135	104150	104151	104162	104167	104187	104188	104193
04201	104224	104234	104242	104286	104287	104288	104292	104304	104324	104328	104331	104336	104337
04342	104344	104345	104354	104380	104381	104393	104410	104482	104502	104525	104584	104597	104602
04619	104657	104665	104736	104738	104744	104745	104753	104754	104777	104806	104807	104809	104829
04839	104888	104905	104920	104923	104950	104968	104971	104972	104976	104986	104992	104994	105000
05001	105014	105030	105031	105047	105048	105054	105078	105080	105082	105097	105112	105113	105116
05124	105131	105132	105139	105140	105152	105157	105161	105170	105171	105184	105185	105187	105193
05194	105199	105219	105226	105250	105311	105371	105387	105397	105399	105400	105411	105412	105418
05435	105445	105456	105461	105468	105475	105477	105496	105514	105515	105528	105540	105547	105558
05569	105573	105584	105593	105600	105608	105618	105625	105627	105633	105646	105664	105668	105670
05678	105679	105695	105703	105712	105715	105729	105733	105743	105766	105774	105775	105779	105786
05796	105797	105834	105850	105854	105892	105894	105896	105902	105906	105941	105951	105981	105995
08000	106035	106044	106065	106070	106072	106073	106091	106096	106127	106132	106133	106134	106143
06188	106201	106215	106218	106227	106234	106239	106271	106272	106301	106316	106324	106331	106342
06346	106378	106382	106390	106396	106399	106404	106409	106410	106413	106417	106418	106425	106435
06447	106451	106472	106473	106483	106525	106537	106550	106557	106558	106603	106641	106644	106679
06698	106728	106741	106749	106753	106760	106786	106860	106865	106895	106931	106946	106980	106986
07016	107022	107023	107024	107026	107027	107059	107069	107070	107079	107093	107104	107124	107125
07157	107173	107187	107225	107235	107237	107244	107252	107254	107261	107280	107395	107409	107464
07474	107479	107533	107614	107638	107677	107680	107690	107707	107720	107732	107742</td		



सरकारी दस्तावेज़

# बिहार लोक सेवा आयोग

15. जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

अधिकारी का नाम

185

## 47वीं संसुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा का फल

उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सफल घोषित 224 उम्मीदवारों के अनुक्रमक श्रावण से दायें क्रमवार निम्नवत् प्रदर्शित किये जाते हैं:-

100061	100063	100171	100184	100193	100230	100330	100366	100418	100476	100480
100706	100947	101014	102012	102259	102326	102960	103078	103206	103574	103576
103582	103584	105170	105400	105475	105715	105892	105896	106134	106201	106984
107027	107252	108102	108176	108254	108275	108571	108604	109865	110084	110183
110491	110667	110993	111371	111518	111675	111699	111822	111982	112074	112104
112272	112420	112655	113120	113716	113777	113825	114086	114103	115711	115730
116220	116255	116970	117512	117807	118188	118190	118281	118532	118645	119280
119308	119353	119492	119581	119811	120365	120733	121164	121836	122645	122921
123076	123289	124075	124220	125303	125312	125329	125401	125486	125515	126028
126332	126600	126621	127104	127127	127564	127912	128214	128331	128899	129046
129560	129880	130083	130234	130314	130380	130441	130508	130748	131817	132587
133780	134300	134636	134929	135891	136005	136320	138180	138291	138394	138612
138807	140103	140208	140560	142006	142195	142539	142544	142829	143030	143308
144791	145036	145789	146112	146615	147319	147891	147951	148629	148700	148747
148829	149150	149398	149469	149604	150349	150993	151078	151085	151582	151657
154908	155040	155043	155171	156434	156491	156724	156744	156938	156971	157665
157773	157852	158658	158719	158816	158837	158842	158862	159274	159714	159827
159886	160853	160888	162206	162303	162430	163082	163416	163750	164358	164360
164393	164633	164693	164723	164957	164997	165586	165810	166263	166557	166571
166572	167789	168595	168288	168867	168911	169053	169260	169304	169457	169910
170436	171217	171678	172198	सुल - 224						

कुल रिकितयाँ:-

कोटि	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार आरक्षी सेवा	कारा अधीक्षक	जिला अंकेश्वर पदाधिकारी	सहायक निबंधक	अवर -निबंधक	वाणिज्यकर अधिकारी	सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी	कुल
सामान्य (01)	18	04	06	05	02	02	03	05	45
अनुसूचित जाति (02)	06	01	02	02	—	01	01	01	14
अनुसूचित जनजाति (03)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्यन्त पिछड़ा वर्ग (04)	06	—	02	—	05	01	01	—	15
पिछड़ा वर्ग (05)	05	—	01	—	01	02	—	01	10
पिछड़ी महिलाएँ (06)	01	—	—	—	02	—	—	—	03
कुल:	36	05	11	07	10	06	05	07	87

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त सफल 224 उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा / साक्षात्कार के लिए सूचना अलंग से प्रकाशित की जायेगी / उन्हें भेजी जायेगी।  
 2. आरक्षण कोटि अथवा विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी मौखिक परीक्षा / साक्षात्कार की तिथि में सक्षम प्राधिकार हाथ निर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा, उन्हें मौखिक परीक्षा / साक्षात्कार में सम्भिलित होने की अनुमति नहीं ही दी जायेगी।  
 3. उपर्युक्त कुल 224 उम्मीदवारों में सामान्य कोटि (01) के 111, अनुसूचित जाति (02) के 34, अन्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) के 38, पिछड़ा वर्ग (05) के 26 एवं पिछड़ी महिलाओं (06) के 8 उम्मीदवार हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य कोटि (01) के अधीन 4, अनुसूचित जाति (02) के अधीन 1, अन्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) के अधीन 1 एवं पिछड़ा वर्ग (05) के अधीन 1, कुल 7 उम्मीदवारों को विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया है।  
 4. अनुक्रमांकों सहित मुद्रण की अन्य किसी त्रुटि के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।  
 5. उपर्युक्त परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट <http://bpscbih.nic.in> पर देखा जा सकता है।

तिथि: 16 दिसम्बर, 2008

16/12/08  
उप सचिव-सह-परीक्षा नियन्त्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

Certified  
Section Officer  
Bihar Public Service Commission  
PATNA



**बिहार लोक सेवा आयोग**  
 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बिली रोड), पटना - 800001  
**47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा क्र एल**

201

IV

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत साक्षात्कार हेतु चयनित कुल 224 उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक 12.01.2009 से 14.01.2009 की अवधि में सम्पन्न हुआ। उक्त मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में चार उम्मीदवार अनुक्रमांक 129046, शम्भु कुमार सिंह अनुक्रमांक 129560, हरिशचंद्र नाथ, अनुक्रमांक 138612, संजय कुमार एवं अनुक्रमांक 148829, संजय भारती ने भाग नहीं लिया। शेष 220 उम्मीदवारों की, उनकी (मुख्य) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों की जोड़ के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त क्रमिक मेधा सूची के अधीन, राज्य संवर्ग/सेवाओं के लिए उनके द्वारा इगित अधिमान-क्रम को प्रश्रय देते हुए, चयनित सेवा के लिए उनकी सुधार्यता तथा आक्षण रोस्टरवार रिक्त पद-उपलब्धता के अनुसार निम्नांकित उम्मीदवारों को इनित राज्य संवर्ग/सेवा में नियुक्त हेतु सफल घोषित किया जाता है-

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	आवंटित आखण रोस्टर शिक्षि
<b>(1) विद्वार प्रशासनिक सेवा:</b>				
1.	134300	हरिशचंद्र कुमारहा	6	सामान्य
2.	107027	राजेशबरी पाण्डेय	6	सामान्य
3.	110993	शुभम प्रशान्त	7	सामान्य
4.	124075	नीरज कुमार दास	8	सामान्य
5.	142539	शम्भु नाथ	9	सामान्य
6.	103574	किशोर कुमार	10	सामान्य
7.	128331	संजीव कुमार	11	सामान्य
8.	118188	दुर्गेश कुमार	12	सामान्य
9.	102012	चन्द्रशेखर आजाद	13	सामान्य
10.	119308	राकेश कुमार	14	सामान्य
11.	163082	गिरिजेश कुमार	15	सामान्य
12.	150349	अमिल कुमार तिवारी	16	सामान्य
13.	167789	देवेन्द्र प्रताप शाही	17	सामान्य
14.	147319	शशि शंकर	18	सामान्य
15.	102326	मधु कानू	19	सामान्य
16.	108254	शेतेश घन्द्र दिवाकर	20	सामान्य
17.	164893	नीतू सिंह	21	सामान्य
18.	151085	रामानुज प्रसाद सिंह	22	सामान्य
19.	103584	अर्णवेनेश कुमार	23	सामान्य
20.	108604	अमिताल कुमार गुप्ता	24	पिछड़ा वर्ग
21.	130314	सुरेन्द्र कुमार अलवेला	25	पिछड़ा वर्ग
22.	162303	संजय कुमार सिंह	26	पिछड़ा वर्ग
23.	156938	अशोक कुमार गुप्ता	27	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
24.	106134	अनु कुमार	28	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
25.	130441	प्रतिना सिन्हा	29	अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला
26.	113625	बुद्ध प्रकाश	30	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
27.	116220	करूम असारी	31	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
28.	132587	उत्तम कुमार	32	पिछड़ा वर्ग (विकलाग)
29.	123076	अजिमुल्लाह असारी	33	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
30.	140103	मुकेश कुमार	34	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
31.	138394	हरेन्द्र राम	35	अनुसूचित जाति
32.	112104	कुमार धनन्धर्य	36	अनुसूचित जाति
33.	127912	अरुण प्रकाश	37	अनुसूचित जाति
34.	125401	विशाल अनन्द	38	अनुसूचित जाति
35.	136005	मणि भूषण किशोर	39	अनुसूचित जाति
36.	156491	नवीन कुमार	40	अनुसूचित जाति
<b>(2) विद्वार आरक्षी सेवा:</b>				
37.	112655	राजेश कुमार	1	सामान्य
38.	113777	अरुण कुमार झा	2	सामान्य
39.	155171	राजेश कुमार सिंह प्रभाकर	3	सामान्य
40.	116255	रूप रंजन हरगढ़े	4	सामान्य
41.	120365	मनोज कुमार	5	अनुसूचित जाति
<b>(3) बाणिज्यकर अधिकारी:</b>				
42.	108275	नरेन्द्र प्रताप सिंह	24	सामान्य
43.	171678	मुकेश कुमार	25	सामान्य
44.	122921	शशीकान्त चतुरेंदी	26	सामान्य
45.	156434	रवि रजन आलोक	27	सामान्य
46.	143030	संजय कुमार	28	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
			185	अनुसूचित जाति

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	आवंटित आखण रोस्टर शिक्षि
<b>(4) विद्वार निवायक:</b>				
47.	102259	राजेश कुमार सिंह	30	सामान्य
48.	121836	ऋषि कुमार सिंह	32	सामान्य
49.	100061	प्रभानंद कुमार	38	पिछड़ा वर्ग
50.	164957	संजय कुमार	44	पिछड़ा वर्ग
51.	105170	मनीष कुमार	80	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
52.	112074	मोहन कुमार	122	अनुसूचित जाति
<b>(5) विद्वार अंकेशण पदाधिकारी:</b>				
53.	101014	सुधार घन्द्र वर्मा	31	सामान्य
54.	130063	प्रदीप कुमार सिंह	34	सामान्य
55.	112420	रोजेश कुमार	36	सामान्य
56.	113120	कुम्हन लाल	45	सामान्य
57.	119492	हीलेन्द्र कुमार	47	सामान्य
58.	135891	विजयानन्द राजेश	193	अनुसूचित जाति
59.	159714	घनश्याम रावदास	194	अनुसूचित जाति
<b>(6) कारा अधीकार:</b>				
60.	127127	राजेश ओझा	37	सामान्य
61.	140208	विजय कुमार आरोड़ा	41	सामान्य
62.	160898	जवाहर लाल प्रभाकर	46	सामान्य
63.	108571	राजीव कुमार झा	49	सामान्य
64.	123269	विद्या भूषण मिश्रा	51	सामान्य
65.	149604	मनोज कुमार	53	सामान्य
66.	149150	रजीत कुमार मधुकर	54	पिछड़ा वर्ग
67.	164723	राजेन्द्र युनार	91	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
68.	163416	मोती लाल	116	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
69.	164997	उमेश्वर चौधरी	190	अनुसूचित जाति
70.	105892	अरुण पारसदान	195	अनुसूचित जाति
<b>(7) सहायक निवायक, सहयोग समितियाः</b>				
71.	120733	संजीव कुमार सिंह	38	सामान्य
72.	171217	दीरेन्द्र शर्मा	42	सामान्य
73.	126899	घनेनाथ प्रसाद	60	पिछड़ा वर्ग
74.	103206	मो. इरफान आलम	68	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
75.	127564	राज कुमार	96	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
76.	112272	बाबू राजा	99	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
77.	145036	कुमार स्नेहलता	102	पिछड़ा वर्ग की महिला
78.	151078	वकरालू जमा	120	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
79.	149469	अरुण कुमार	121	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
80.	148700	संयुक्ता	131	पिछड़ा वर्ग की महिला
<b>(8) बुवाना एवं बनसप्तर्क पदाधिकारी:</b>				
81.	158658	रघुनंद कुमार	55	सामान्य
82.	111675	अमिताल अमित	57	सामान्य
83.	111982	मनोज कुमार	58	सामान्य
84.	130748	भूपंद्र नारायण सिंह	59	सामान्य
85.	117512	दिल्लू कुमार	61	सामान्य
86.	166788	अनंत कुमार	66	पिछड़ा वर्ग

त्रिभारतरकार  
कार्मिक स्वं प्रशासनिक सुधार किमान ।

12/11/05 प्रेषक,

14/11/05 तेवा में।

श्री मोहन कुमार तरकार,  
तरकार के उप सचिव ।उप सचिव,  
बिहार लोक तेवा आयोग, पटना ।

पट्टा- 15, दिनांक 10 नवम्बर, 2005.

विषय:- 47 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक तेवा के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना के संबंध में।

महाज्ञय,

मिदेश्वर उपर्युक्त कियक आपके पत्रां-430 दिनांक-6-5-2005 के प्रसंग में बिहार लोक तेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती स्वरूप बिहार प्रशासनिक तेवा के पद पर भरे जानेवाले उत्तरकार्ता बिहार राज्य के लिए उपलब्ध रिक्तियों की आवृण्णावार अधियाचना नीये अंकित कर मेली जा रही है:-

118 आरक्षित-

18 अठारहूँ पद

111 उत्तमाधिका जाति-

06 छः पद

111 अत्याधिकारी पिछड़ा कर्म-

06 छः पद

117 पिछड़ा कर्म-

05 इण्ठांचो पद

117 पिछड़ा कर्म की महिला- 01 स्कैँड पद

कूलयोग- 36 छत्तीस पद

2. उपर्युक्त पदों के लिए नियुक्ति कार्मिक स्वं प्रशासनिक सुधार किमान के परिपत्र सं-502 दिनांक 2-11-2002 से जारी दित रहेगा।

3. बिहार राज्य अधिनियम 15/2003 स्वं कार्मिक स्वं प्रशासनिक सुधार किमान के पत्रां-72 दिनांक 13-2-2004 के आलोक में राज्य के बाहर के अन्यर्थियों को आवधान का साम देय नहीं होगा।

4. गुणागुण के आधार पर नियुक्त आरक्षित कर्म के अन्यर्थियों की गणना उनके कोटे में नहीं भी जायेगी।

Certified,

Section Officer

Bihar Public Service Commission

PATNA

(3) *Rajendra Singh*

आः अनुरोध है कि उपर्युक्त बंडिका-॥।॥ में प्रथावर्धित गारवणवार कल ३६ इतीत् अधियाचित् रिक्षायों के किन्द्र नियुक्ति हेतु कल सर्व योग्य अधिकारियों की अनुरक्षा प्राप्तीधृ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रियवासमाजन,

*राजनाथ सिंह*  
तरकार के उप सचिव।

रामजी